

कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

तीन मंजिला क्वाटर नं.- 55, सेवा संकुल आवासीय परिसर, आर.पी.ए., शास्त्री नगर, जयपुर-302016

क्रमांक:-फ-2(2) आरपीए/सेसंआविस/सुरक्षा गार्ड/2024/ 283

दिनांक:- 03/09/2024

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

सेवा संकुल आवासीय परिसर, राजस्थान पुलिस अकादमी, शास्त्री नगर, जयपुर में तीन मुख्य दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु साधारण सुरक्षा कर्मी लाठीधारी (कुशल) की सेवाएँ राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों अनुसार उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों से एक वर्ष की अवधि के लिए सीलबन्द बोली आमंत्रित की जाती है, जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 9.5 लाख वार्षिक है। विस्तृत विवरण, जो कि बोली प्रपत्र में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की वेब साइट www.rpa.rajasthan.gov.in/ SSP पोर्टल पर देखा जा सकता है।

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित राशि रु.	बोली प्रतिभूति राशि रु.	निविदा फार्म मूल्य
1.	तीन मुख्य दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा प्रहरी	9.5 लाख	19,000/- रु.	200.00 रु०.

निविदा शर्त:-

- निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से निर्धारित शुल्क (बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो, दिनांक 10.09.2024 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 10.09.2024 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के (यदि कोई हो)समक्ष खोली जावेगी।
- बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, स्थाई खाता संख्या (PAN No.) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा शर्त जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी।
- अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।


अध्यक्ष,

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
- समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित कराने का श्रम करावें। ई-मेल पर प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
- उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
- कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।


अध्यक्ष,

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

कार्यालय सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

निविदा प्रारूप

वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

1. सेवा संकुल आवासीय परिसर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीन मुख्य दरवाजों पर सुरक्षा प्रहरी लगाने हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता मय ई-मेल एवं मोबाईल नं०

निविदादाता का :- पैन नं.

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.

3. किसको सम्बोधित की गयी—अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए., जयपुर।
4. सन्दर्भ :-
5. निविदा शुल्क की राशि रु 200 /— नगद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक सं. दिनांक
..... के द्वारा (सेवा संकुल परिसर सफाई सुरक्षा फण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम) जमा करा दी गई है।
6. अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की समस्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
8. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
9. बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक संदिनांक.....द्वारा राशि रुपये 19000 /— बयाना राशि के पेटे (सेवा संकुल परिसर सफाई सुरक्षा फण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के नाम) जमा करवाई गई।
10. इसके साथ जी.एस.टी. / स्थाई खाता संख्या (PAN No.) प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
11. निविदा शर्तें मेरे द्वारा देख व पढ़ ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।
12. निविदादाता अपनी दर “परिशिष्ट-A” में भरकर प्रस्तुत करें। (संलग्न)

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—A

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, शास्त्री नगर, जयपुर के तीन मुख्य दरबाजों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुशल साधारण सुरक्षा कर्मी लाठीधारी उपलब्ध कराने हेतु बोली

—: निविदा की शर्तें (तकनीकी निविदा) :-

ए— बोली प्राप्ति हेतु वांछित तकनीकी योग्यताएं—

1. बोलीदाता को सिक्कूरिटी गार्ड्स की सेवा आपूर्ति करने हेतु गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला लाईसेन्स होना आवश्यक है।
2. बोलीदाता के पास ई.एस.आई./पी.एफ./जी.एस.टी का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 के अन्तर्गत लाईसेन्स, श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी लाईसेन्स Contract Labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
3. बोलीदाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण में मैनपावर या कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का न्यूनतम 3 वित्त वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष में बिडर द्वारा प्राप्त कार्यादेशों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायेंगी। अन्य अस्पष्ट दस्तावेज संलग्न करने पर निविदा को निरस्त योग्य माना जा सकेगा।
4. बोलीदाता फर्म का गत दो वित्त वर्ष 2021-22 व 2022-23 में प्रतिवर्ष कम से कम 3.0 लाख का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। बोलीदाता को इस संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अन्तिम लेखे यथा व्यापार खाता/निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules 2013 प्रावधानों के तहत इस बोली के साथ संलग्न Annexure-A बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
6. न्यूनतम सर्विस चार्ज की दर शून्य अथवा ऋणात्मक होने पर (प्रतिशत में) बोली स्वतः ही निरस्ती योग्य होगा।
7. बोलीदाता फर्म का स्थाई खाता संख्या (पैन) एवं इसकी प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

बी— अन्य शर्तें :-

1. अनुबन्ध की अवधि निविदा स्वीकृति से एक वर्ष की अवधि हेतु होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा अवधि सक्षम स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार आगे बढ़ायी जा सकेगी।
2. न्यूनतम मजदूरी/पीएफ/ई.एस.आई./जी.एस.टी व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। आगामी माह का भुगतान गत माह की PF/ESI/GST राशि जमा कराने के साक्ष्यों के पश्चात् ही देय होगी। ई.एस.आई./पी.एफ. एवं जी.एस.टी का भुगतान नियमानुसार सेवा संकुल आवासीय विकास समिति द्वारा पृथक से देय होगा।
3. सफल बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि LOA जारी तिथि से 7 दिवस में जमा कराया जाना आवश्यक है।
4. श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक एजेन्सियों से न्यूनतम बोली पर समानान्तर अनुबंध किया जा सकता है।
5. सफल बोलीदाता को उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज/पूर्ण विवरण रखना होगा एवं मांगने पर उपलब्ध कराना होगा।
6. बोली में सफल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षा गार्ड्स वर्दी में रहेंगे। प्रत्येक एजेन्सी (यदि कोई हो) की अलग वर्दी होगी एवं वर्दी पर एजेन्सी के नाम सहित बैज होगा।
7. एजेन्सी द्वारा सेवा संकुल आवासीय परिसर में लगे अपने गार्डों की उपस्थिति हेतु उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसको सेवा संकुल आवासीय विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा कभी भी चैक किया जा सकेगा। उक्त के अभाव में राशि रु. 1000/- प्रति दिवस की दर से शास्ती लगाई जा सकेगी।
8. सफल बोलीदाता को कार्यादेश देने पर अपेक्षित संख्या में कुशल साधारण सुरक्षा कर्मी लाठीधारी उपलब्ध कराने होंगे। कार्य सम्पादन के दौरान किसी श्रमिक को कोई शारीरिक अथवा मानसिक क्षति होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेन्सी की होगी।
9. श्रमिकों के अनुशासन में कार्य करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेन्सी की होगी।
10. एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा एवं ऐसी एजेन्सी को नियमानुसार ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी।
11. बोलीदाता को उपरोक्त "ए" में वांछित योग्यताओं संबंधी आवश्यक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।
12. बोली प्रतिभूति राशि, टेण्डर शुल्क अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में टेण्डर निरस्त माना जायेगा।
13. उपरोक्त "ए" में अंकित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाली एजेन्सी की निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. बोलीदाता द्वारा सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकों एवं शब्दों में अंकित करना होगा।
15. किसी बिन्दू पर विवाद होने पर अध्यक्ष सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिए न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

16. श्रमिक आपूर्ति का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति के प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
17. एजेन्सी द्वारा जो भी श्रमिक उपलब्ध करवाये जायेंगे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
18. एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह पाँच तारीख तक बिल प्रस्तुत किया जावेगा। संवदेक द्वारा नियोजित किए जाने वाले संविदाकर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 10 तारीख तक किए जाने के बाद नियोजित सभी संविदाकर्मियों को किये गये पारिश्रमिक भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संवदेक को संबंधित माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
19. एजेंसी द्वारा नियोजित श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से आगामी माह की 10 तारीख तक उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा, जिसके अभाव में संवदेक के विरुद्ध विलम्बित अवधि हेतु राशि रु. 1000/- प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
20. किसी भी निविदा/निविदाओं को बिना कारण अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर को होगा।
21. ALL the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 will be applicable on this tender. If there is any contradictions in existing conditions, then provision of The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 and Rules 2013 shall be applicable.
22. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 की धारा-38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या-1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अपील हेतु देय फीस अप्रतिदेय होगी।
23. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/वेब साइट पर अपलोड करने के 7 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की वेब साइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47)
24. बोलीदाता/संवदेक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार भी प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956 या 2013 के अन्तर्गत				

25. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
26. राजस्थान अनुबंधित (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हक होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
27. यदि सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर को अंशकालिक (पार्ट टाइम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता होगी तो ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएँ 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
28. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था द्वारा चाहे जाने पर आगामी माह के मासिक बिल के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
29. गार्डस से निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक कार्य करवाने पर ओवरटाईम कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जायेगा।
30. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
31. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
32. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और नियोक्ता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
33. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हैल्प लाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
34. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
35. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तुत एवं सेवा कर के सम्बन्ध में उत्पन्न, होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
36. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों/दिशा-निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
37. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
38. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
39. कार्य सम्पादन अवधि के कार्य संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
40. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए., जयपुर को प्राप्त होती है तो सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए., जयपुर इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।

41. सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए., जयपुर द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
42. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
43. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act.2012 के section-38 के तहत कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी नामांकित अधिकारी वित्त विभाग राज. जयपुर है।
44. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/- है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो अध्यक्ष, सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु फीस रूपये 10,000/- निर्धारित है। उक्त फीस अप्रतिदेय होगी।
45. यदि इस निविदा में विहित कोई शर्त अथवा प्रावधान किसी अधिनियम या नियम के प्रतिकूल पाया जाता है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियम में मौजूद शर्त/प्रावधान ही अभिभावी होंगे।
46. जॉब चार्ट के अनुसार कार्य करने होंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता

सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

भाग-(अ) तकनीकी निविदा

उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों सुरक्षा कर्मी (कुशल) उपलब्ध करवाने हेतु तकनीकी योग्यताएँ।

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1.	कम्पनी/फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नं., दूरभाष नम्बर	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित कर संलग्न करना है।
2.	उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों सुपरवाइजर (उच्च कुशल), सिक्यूरिटी मैन (कुशल), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चपरासी (अकुशल श्रमिक)] सेवाएँ उपलब्ध कराने बाबत लाईसेंस	सिक्यूरिटी गार्ड्स के मामले में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। जो बोली आमंत्रण की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।
3.	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम बोर्ड/प्राधिकरण में मैन पावर या कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक सेवाएँ उपलब्ध कराने का 3 वित्त वर्षों का अनुभव आवश्यक है।	अनुभव की पुष्टि हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष में बिडर द्वारा प्राप्त कार्यादेशों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायेंगी। अन्य अस्पष्ट दस्तावेज संलग्न करने पर बोलीदाता को निरस्त योग्य माना जा सकेगा।
4.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।	स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है।
5.	श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी Contract Labour Licence होना आवश्यक है।	श्रम विभाग राजस्थान द्वारा जारी Contract Labour Licence की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है।
6.	निविदा डॉक्यूमेंट फीस, बोली प्रतिभूति राशि जमा का विवरण।	विवरण संलग्न किया जाना है।
7.	संलग्न Annexure- A,B, D के अनुसार घोषणा पत्र।	हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न किया जाना है।
8.	बोलीदाता फर्म को ई.एस.आई एवं ई.पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।	ESI, EPF विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है।
9.	बोलीदाता का गत दो वित्तीय वर्षों वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रति वर्ष रुपये 3.0 लाख का टर्नओवर होना चाहिए।	टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र अथवा चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा अंकेक्षित व्यापार खाता की छाया प्रति संलग्न की जानी है।
10.	बोलीदाता के पास स्वयं का अथवा फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक है।	पेनकार्ड की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी है।
11.	बोलीदाता फर्म के किसी राजकीय संस्था/बोर्ड/कॉरपोरेशन से ब्लेक-लिस्टेड अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता द्वारा इस सम्बन्ध में रुपये 100.00 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना है।
12.	बोलीदाता Joint Ventures or Consortiums नहीं होने चाहिये।	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
13.	बोलीदाता का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	बोलीदाता को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

नोट:- तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जावेगी।

मैं.....पुत्र श्री.....सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित/संलग्न विवरण सत्य हैं तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता.....
.....
दूरभाष एवं मो.नं.....

भाग-(ब) वित्तीय निविदा प्रस्ताव

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अदेयतन न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (श्रम विभाग द्वारा अदेयतन दर)	ESI दर प्रतिशत (श्रम विभाग द्वारा अदेयतन दर)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	अन्य कर/ चार्ज	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	साधारण सुरक्षा कर्मी (कुशल)	9							

- नोट:-
1. GST की राशि का भुगतान पृथक से देय होगा।
 2. कॉलम सं. 5, 8 एवं 9 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जायेंगी।
 3. EPF/ESI में नियोक्ता का अंशदान सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आर.पी.ए. जयपुर द्वारा पृथक से देय होगा। सेवा शुल्क की दर शून्य अथवा ऋणात्मक (प्रतिशत में) होने पर बोली स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जिसका उल्लेख बोलीदाता द्वारा कॉलम संख्या-8 में आवश्यक रूप से करना होगा। सेवा शुल्क की दर अंको एवं शब्दों में अंकित करनी होगी। अंको एवं शब्दों में अन्तर, कॉट-छॉट या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
 4. जब भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के आदेश जारी किये जायेंगे। तदनुसार बढी हुई दरें स्वतः लागू मानी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता.....

 दूरभाष एवं मो.नं.....

जॉब चार्ट का संक्षिप्त विवरण

• सुरक्षाकर्मी (कुशल श्रमिक)

1. अनुबंध पूर्णतया सर्विस/जॉब वेसिस पर होगा।
2. अनुबंध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से एक साल तक रहेगी। अनुबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि RTPP नियम 2013 के नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
3. अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य शुरु करने से पूर्व एवं समय-समय पर तथा अनुबंध की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताना एवं कार्य का प्रशिक्षण देना होगा।
4. गार्ड शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट व स्वस्थ होंगे तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे।
5. गार्ड अपने ड्यूटी पॉइन्ट पर अपनी निर्धारित साफ-सुथरी व पूर्ण यूनीफॉर्म में रहेंगे।
6. ड्यूटी के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा व स्वस्थ हालत में अपने ड्यूटी पॉइन्ट पर मुस्तेज रहेगा।
7. गेटों को निर्धारित समय पर खोलना व बन्द करना।
8. असामाजिक तत्वों व भिखारियों को प्रवेश ना करने देना।
9. गेटों के निकट वाहन नहीं खड़े होने देना तथा ठेले, खोमचे व थडियां इत्यादि नहीं लगने देना।
10. परिसर स्थित राजकीय सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने से मना करना व चोरी पर रोकथाम।
11. आपात स्थिति के अलावा गार्ड की बदली सेवा संकुल आवासीय विकास समिति, आरपीए, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जायेगी।
12. किसी भी गार्ड की शिकायत होने पर उसे समिति के सक्षम पदाधिकारी की अनुसंशा पर तुरंत प्रभाव से हटाया जायेगा।
13. किसी भी स्थिति में बदले गये गार्ड का पूर्ण विवरण मय मोबाईल नम्बर व ड्यूटी पॉइन्ट के समिति कार्यालय में उपलब्ध करवाया जायेगा।
14. परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक संधिग्ध व अपरचित व्यक्ति व वाहन की गहनता से पूछताछ कर सन्तुष्ट होने पर रजिस्टर में उसका पूर्ण विवरण इन्द्राज कर प्रवेश की अनुमति देगा।
15. व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेवा संकुल आवासीय विकास समिति द्वारा जारी अनुमति पत्र देख कर ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देगा।
16. गार्ड निर्धारित टाईम पर अपने ड्यूटी पॉइन्ट पर उपस्थित होंगे व ड्यूटी पर तैनात गार्ड की बदली करेंगे तथा बदली नहीं आने तक ड्यूटी पर तैनात गार्ड अपना पॉइन्ट नहीं छोड़ेंगे।
17. बदली नहीं आने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात गार्ड अपने सुपरावाइजर अधिकारी व समिति के पदाधिकारियों को अवगत करायेगे तथा उचित समाधान होने तक अपना पॉइन्ट नहीं छोड़ेंगे।
18. गार्ड परिसर में निवासरत अधिकारी/कर्मचारी व उनके परिजनों तथा आगन्तुकों के साथ शालीन व सभ्य व्यवहार करेंगे।

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मुहर

(निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)